कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक–वा0क0अधि0 / दस–1(क) / परिपत्र / 2233 / 2018::लखनऊ::दिनांक जून ,18

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उ0प्र0।

कृपया वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–23 / 2017 / सा–3–329 / दस–2017 / 308 / 2016 दिनांक 18.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वेतन समिति उ0प्र0 (2016) की संस्तुतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन वर्ष–2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों / पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की पेंशन का संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है।

शासनादेश दिनांक 18.07.2017 द्वारा लागू सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को सेवानिवृत्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय के परिपत्र संख्या–3330 / 17 दिनांक 23.08.17 द्वारा सेवानिवृत्त सदस्यों के वेतन निर्धारण प्रस्ताव अनुमोदन हेतु मुख्यालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जिनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त सदस्यों के वेतन निर्धारण प्रस्ताव तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। पीठ कार्यालयों से प्राप्त कतिपय वेतन निर्धारण प्रस्ताव व सेवापुस्तिकायें दिनांक 26.05.18 को अग्निकांड में जल कर राख हो गयें हैं।

अतः निर्देशानुसार वाणिज्य कर अधिकरण के अधीष्ठान के अन्तर्गत समस्त पीठ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि, जिन पीठ कार्यालयों से प्रेषित सेवानिवृत्त सदस्यों के वेतन निर्धारण प्रस्ताव मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये हैं, उन वेतन निर्धारण प्रस्तावो को, पी0पी0ओ0 व अन्तिम आहरित वेतन से सम्बन्धित अभिलेख सहित पुनः मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2– प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय लखनऊ।
3– पेंशन पटल मुख्यालय।
4– बेव अधिकारी मुख्यालय।

प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।